भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 495

जिसका उत्तर 03 दिसंबर, 2025 को दिया जाना है

कोयला क्षेत्र में सुधार

495. श्री नारायण तातू राणे:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्रीमती हिमाद्री सिंह:
श्री बलभद्र माझी:
श्री मनोज तिवारी:
डॉ. विनोद कुमार बिंद:
श्री शिवमंगल सिंह तोमर:
डॉ. भोला सिंह:
श्री बंटी विवेक साहूः
श्री शंकर लालवानीः
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः
श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेलः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के दौरान कोयला क्षेत्र के लिए शुरू किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में चल रहे/प्रस्तावित कोयला संबंधी कार्यकलापों (खनन, परिवहन और कोयला आधारित उद्योग) पर उक्त सुधारों का क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) उक्त सुधारों ने कोयला ग्रेडों पर कर के बोझ को किस प्रकार युक्तिसंगत बनाया है और ताप विद्युत संयंत्रों, सीमेंट उद्योगों तथा स्थानीय औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए, विशेषकर छिंदवाड़ा जिले में विद्युत की समग्र उत्पादन लागत को किस प्रकार कम किया है;

(घ) आत्मनिर्भर भारत विजन के अंतर्गत घरेलू कोयला उत्पादकों और आयात प्रतिस्थापन, विशेषकर छिंदवाड़ा जिले से कोयला प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं और उद्योगों पर उक्त सुधारों का अपेक्षित प्रभाव क्या होगा;

(ड.) क्या उक्त सुधारों ने कोयला कंपनियों की नकदी को तरल बनाया है तथा पहले से विद्यमान उलटे टैरिफ ढांचे का समाधान किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले को बिजली आपूर्ति करने वाली विद्युत-वितरण कंपनियों को क्या अनुमानित लाभ होंगे?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में कोयला क्षेत्र के संबंध में किए गए सुधार निम्नानुसार हैं:

i. कोयले पर 400 रुपये प्रति टन का जीएसटी मुआवजा उपकर समाप्त कर दिया गया है।
ii. कोयले पर जीएसटी दर को 5% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है।

(ख) और (ग) : कोयले पर जीएसटी सुधार पूरे देश में समान रूप से लागू होते हैं और किसी जिला विशेष के लिए कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जीएसटी में संशोधन से कोयले की विभिन्न श्रेणियों में कर भार का युक्तिकरण किया गया है, क्योंकि पिछली जीएसटी व्यवस्था में निम्न श्रेणी के कोयले और कम मूल्य वाले कोयले पर अधिक प्रभावी कर लगता था। जीएसटी में परिवर्तन के साथ, कोयले की श्रेणी में कर भार को एक समान करके युक्तिसंगत बनाया गया है। विद्युत क्षेत्र को आपूर्ति की जाने वाले कोयले की श्रेणियों में कोयला मूल्यों में औसतन लगभग 260 रुपये प्रति टन की कमी हुई है, जिससे उत्पादन लागत में 17 से 18 पैसे प्रति किलो वाट की कमी होने की संभावना है। सीमेंट और अन्य स्थानीय उद्योगों पर जीएसटी सुधारों का प्रभाव उनके द्वारा खपत किए गए कोयले की श्रेणी पर निर्भर करता है।

(घ) : इन जीएसटी सुधारों ने कोयले पर करों को युक्तिसंगत बनाया है और घरेलू कोयला उत्पादकों के प्रचालन और वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ाया है। 400 रुपये प्रति टन के जीएसटी मुआवजा उपकर हटाने से घरेलू कोयले को आयातित कोयले से अधिक प्रतिस्पर्धी बना दिया गया है, जिससे आयात कोयला आधारित संयंत्रों और अन्य उपभोक्ताओं को सस्ता घरेलू कोयला प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किए जाने की संभावना है जिससे आत्मनिर्भर भारत और आयात प्रतिस्थापन पहल में योगदान मिलेगा।

(ङ) और (च) : पूर्व में, कोयला कंपनियों ने अपनी इनपुट सेवाओं या इनपुट पर 5% से 28% तक जीएसटी का भुगतान किया था, जबकि कोयले पर आउटपुट जीएसटी दर केवल 5% थी, जिसके परिणामस्वरूप अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का संचय होता था। कोयले पर आउटपुट जीएसटी दर को 18 प्रतिशत तक बढ़ाकर, आउटपुट और इनपुट टैक्स दरों के अनुरुप इन्वर्टेड शुल्क संरचना को ठीक किया गया है, और अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट में बड़ी मात्रा में अवरूद्ध लिक्विडिटी को निर्मुक्त किया गया है। कोयला आधारित विद्युत उत्पादन की कम लागत के कारण विद्युत-वितरण कंपनियों के लिए विद्युत खरीद लागत कम हो जाएगी।

****